<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दीवानी अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल अपील सं. 3735 वर्ष 2020</u>
(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं.5452 वर्ष 2020 से उद्भूत)

मे. कालेडोनिया जूट एंड फाइबर्स प्रा. लि.

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

मे. एक्सिस निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लि. & अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति वी.रामासुब्रमण्यन</u>

1. अनुमति दी गयी।

2. कम्पनी न्यायालय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) द्वारा वहाँ लंबित परिसमापन याचिका को राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (संक्षेप में एनसीएलटी) स्थानांतरित करने से इनकार के आदेश से व्यथित एक वित्तीय ऋणदाता ने यह अपील दाखिल की है।

3. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुजेफा अहमदी, प्रथम प्रत्यर्थी कार्पोरेट ऋणी की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. एन.एस. नादकर्णी और शासकीय समापक की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ग्रुप कै. करन सिंह भाटी को सुना।

<u>पृष्टभूमि तथ्य</u>

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

4. एक मेसर्स गिरधर ट्रेडिंग कंपनी, जो कि द्वितीय प्रतिवादी है, ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी याचिका संख्या 24 वर्ष 2015 में प्रथम प्रत्यर्थी कंपनी के परिसमापन के लिए इस आधार पर एक याचिका दायर की कि कंपनी अपना कर्ज चुका पाने में अक्षम है। कंपनी न्यायालय ने प्रथम प्रत्यर्थी को नोटिस देने का आदेश दिया, लेकिन प्रथम प्रत्यर्थी कंपनी न्यायालय के समक्ष पेश होने में विफल रहा।

5. इसलिए, 08.01.2016 दिनांकित एक आदेश द्वारा कंपनी न्यायालय ने कंपनी याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 24 के अनुसार याचिका के विज्ञापन के प्रकाशन का भी निर्देश दिया। उक्त आदेश के अनुसरण में, द्वितीय प्रत्यर्थी (याचिकाकर्ता ऋणदाता petitioning creditor) ने दिनांक 30.01.2016 को फॉर्म संख्या 48 में आधिकारिक राजपत्र में विज्ञापन का प्रकाशन किया। कंपनी की याचिका की सुनवाई की तारीख 29.02.2016 दर्शाते हुए समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया।

6. तत्पश्चात, कंपनी न्यायालय ने 10.03.2016 दिनांकित एक आदेश पारित किया जिसमें प्रथम प्रत्यर्थी कंपनी के परिसमापन का इस आधार पर निर्देश दिया गया था कि कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ रही है और प्रथम प्रत्यर्थी कंपनी का परिंसमापन सम्यक और न्यायसंगत था।

7. 10.03.2016 दिनांकित उक्त आदेश द्वारा, कंपनी न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संलग्न शासकीय समापक को समापक के रूप में नियुक्त किया और उसे कंपनी की संपत्ति और बही खातों को अपने नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया। कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 113 के तहत यथा अपेक्षित, परिसमापन के आदेश को भी दो समाचार पत्रों में फॉर्म 53 में विज्ञापित करने का निर्देश दिया गया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

8. तत्पश्चात, प्रथम प्रत्यर्थी ने 10.03.2016 दिनांकित परिसमापन के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दिया। प्रथम प्रत्यर्थी ने अपनी सद्इच्छा को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ऋणदाता (जो कि द्वितीय प्रत्यर्थी है) को देय पूरी राशि का भुगतान लागत के साथ किया। इसलिए, याचिकाकर्ता ऋणदाता को परिसमापन आदेश वापस लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी

9. लेकिन शासकीय समापक ने आदेश वापस लेने के आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि प्रथम प्रत्यर्थी कंपनी पर विभिन्न देनदारों का 27 करोड़ रुपये की राशि बकाया है और जब तक उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक परिसमापन के आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता है। शासकीय समापक ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ही कंपनी की संपत्ति का प्रभार ले लिया है।

10. विरोधी तर्कों के आलोक में, कंपनी न्यायालय ने 10.03.2016 दिनांकित परिसमापन आदेश को स्थगित करते हुए 22.08.2016 को एक आदेश पारित किया। हालांकि, कंपनी न्यायालय ने शासकीय समापक को कंपनी की संपत्तियों को अपनी अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया।

11. ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी, जो प्रथम प्रत्यर्थी का देनदार होने का दावा करता है, ने एनसीएलटी, इलाहाबाद के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संक्षेप में 'आईबीसी, 2016') की धारा 7 के तहत आवेदन दिया। एनसीएलटी के समक्ष अपीलार्थी का दावा यह था कि प्रथम प्रत्यर्थी 32 लाख रुपये की राशि के प्रतिदेय के लिए उत्तरदायी है और बार-बार मांगने के बावजूद, प्रथम प्रत्यर्थी उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा।

12. तत्पश्चात, अपीलार्थी ने कंपनी न्यायालय (उच्च न्यायालय) के समक्ष सिविल प्रकीर्ण आवेदन संख्या 23 वर्ष 2020 के रूप में एक आवेदन दिया, जिसमें

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

परिसमापन याचिका को एनसीएलटी, इलाहाबाद को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। इस आवेदन को कंपनी न्यायालय ने 24.02.2020 के एक आवृत्त आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि नियम 24 की आवश्यकता का पहले ही पालन किया जा चुका था और एक परिसमापन आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था। परिसमापन कार्यवाही को कंपनी न्यायालय से एनसीएलटी को स्थानांतरित करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के इसी आदेश के खिलाफ वित्तीय ऋणदाता ने यह सिविल अपील की है।

<u>विचारण के विषय</u>

13. इस अपील में विचारण के लिए उत्पन्न होने वाले मुख्य विषय हैं:

(i) ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत किसी उच्च न्यायालय में लंबित परिसमापन कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित किया जा सकता है और
(ii) किसकी ओर से ऐसे स्थानांतरण का आदेश किया जा सकता है।

<u>बहस</u>

14. यद्यपि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 18) को 29.08.2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी और इसे भारत के राजपत्र में दिनांक 30.08.2013 को प्रकाशित किया गया था और 01.01.2014 को प्रकाशित शुद्धिपत्र के माध्यम से संशोधित किया गया था, अधिनियम के विभिन्न प्रावधान विभिन्न तिथियों प्रवृत्त हुए। कुछ प्रावधान 12.09.2013 को लागू हुए तो कुछ अन्य प्रावधान 01.04.2014 को प्रभावी हुए।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

15. धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ख) साथ ही धारा 434 की उप-धारा (2) 01.06.2016 दिनांकित एस.ओ. 1934 (ई) के माध्यम से 01.06.2016 प्रभावी हुई। धारा 434 की उप-धारा (1) का खंड (ग) 01.12.2016 दिनांकित एस.ओ. 3677 (ई) के माध्यम से 15.12.2016 से लागू हुआ।

16. यहां यह ध्यान देना चाहिए कि धारा 434, जैसा कि मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमित होने के समय था, आज की तुलना में अलग था। धारा 434 जैसा कि मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल किया गया था, वास्तव में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम 31) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 15.11.2016 को लागू हुआ।

17. धारा 434 जैसा कि मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 18) में था और धारा 434, आईबीसी, 2016 (2016 का अधिनियम 31) द्वारा यथा प्रतिस्थापित, को पश्चातवर्ती संशोधनों के साथ आसान समझ के लिए सारणीबद्ध कॉलम में प्रस्तुत किया गया है।

धारा 434 वर्ष 2013 के अधिनियम 18 में यथा मूल रूप से निर्मित	धारा 434 आईबीसी एक्ट 31 वर्ष 2016 के अन्तर्गत यथा प्रतिस्थापित
“434. कतिपय लंबित कार्यवाहियों अंतरण (I) ऐसी तारीख को जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए (क) कंपनी अधिनियम 1956 (1 वर्ष 1956) की धारा 10 ङ की उप-धारा (1) के अधीन गठित कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड (जिसे इस धारा में इसके पश्चात कंपनी विधि बोर्ड कहा गया है) के समक्ष लंबित सभी विषय कार्यवाहियां या मामले ऐसी तारीख से पूर्व अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और अधिकरण उन विषयों कार्यवाहियों या मामलों का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार	[कतिपय लंबित कार्यवाहियों का अंतरण (I) ऐसी तारीख को जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए (क) कंपनी अधिनियम 1956 (1 वर्ष 1956) की धारा 10 ङ की उप-धारा (1) के अधीन गठित कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड (जिसे इस धारा में इसके पश्चात कंपनी विधि बोर्ड कहा गया है) के समक्ष लंबित सभी विषय कार्यवाहियां या मामले ऐसी तारीख से पूर्व अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और अधिकरण उन विषयों कार्यवाहियों या मामलों का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

निपटारा करेगा। (ख) ऐसी तारीख से पहले, कंपनी विधि बोर्ड के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कंपनी विधि बोर्ड के विनिश्चय या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर उस आदेश से उद्भूत होने वाले विधि के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित हुआ था तो वह उसे 60 दिन से अनधिक और अवधि के भीतर अपील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। (ग) कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन जिसके अंतर्गत कंपनियों के माध्यस्थम, समझौता, ठहराव और पुनर्संरचना तथा परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, जो उस तारीख से ठीक पूर्व किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हैं, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगी और अधिकरण उन कार्यवाहियों के संबंध में उनके अंतरण से पहले के प्रक्रम से कार्यवाही कर सकेगा। (घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण को की गई कोई अपील या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष किया गया निर्देश या लंबित अथवा रुग्ड़ औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी भी प्रकृति की कोई कार्यवाही उपशमन की जाएगी परंतु कोई कंपनी जिस के संबंध में इस खंड के अधीन ऐसी अपील या निर्देश या जांच का उपशमन किया जाता है इस अधिनियम के प्रारंभ से 180 दिन के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को निर्देश कर सकेगी। परंतु यह और कि इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा जिसकी अपील या निर्देश या जांच इस खंड के अधीन उपशमन की जाती है ऐसा निर्देश करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी। (2) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन कंपनी विधि बोर्ड या न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी विषयों कार्यवाहियों या मामलों का अधिकरण	निपटारा करेगा। (ख) ऐसी तारीख से पहले, कंपनी विधि बोर्ड के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कंपनी विधि बोर्ड के विनिश्चय या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर उस आदेश से उद्भूत होने वाले विधि के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित हुआ था तो वह उसे 60 दिन से अनधिक और अवधि के भीतर अपील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। और (ग) कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन जिसके अंतर्गत कंपनियों के माध्यस्थम, समझौता, ठहराव और पुनर्संरचना तथा परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, जो उस तारीख से ठीक पूर्व किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हैं, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगी और अधिकरण उन कार्यवाहियों के संबंध में उनके अंतरण से पहले के प्रक्रम से कार्यवाही कर सकेगा। परंतु यह कि कंपनी के परिसमापन से जुड़ी केवल ऐसी कार्यवाहियां अधिकरण को अंतरित की जाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित स्थिति में हों : [परंतु यह और कि परिसमापन से इतर से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाहियां जिन्हें अनुमति देने या अन्यथा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आदेश आरक्षित नहीं है, अधिकरण को अंतरित किये जाएंगे। [परंतु यह भी कि-] (I) कंपनियों के परिसमापन की कार्यवाही, जिन्हें स्वीकार करने या अन्यथा के लिए आदेश हेतु आरक्षित है, से इतर कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सभी कार्यवाहियां; या (II) कंपनियों के परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियां जिन्हे उच्च न्यायालयों से अंतरित नहीं किया गया है; कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार विचारण किया जाएगा [बशर्ते यह भी कि कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन के मामलों से संबंधित कार्यवाही जहां कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 485 की उप-धारा (1) के तहत विज्ञापन द्वारा विनिश्चय की सूचना दी गई है, लेकिन कंपनी 1 अप्रैल 2017 से पहले भंग नहीं हुई है, को कंपनी अधिनियम, 1956

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को यथा समय अंतरण सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी	और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार विचारित किया जाता रहेगा।] [परंतु आगे यह कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ से पहले कंपनियों के परिसमापन से संबंधित किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों का / के पक्षकार ऐसी कार्यवाही के स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं और न्यायालय आदेश द्वारा इस तरह की कार्यवाही को अधिकरण में स्थानांतरित कर सकता है और इस प्रकार स्थानांतरित की गई कार्यवाही को अधिकरण द्वारा द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन माना जाएगा। (2) केंद्र सरकार, कंपनी विधि बोर्ड या न्यायालयों में लंबित सभी मामलों, कार्यवाहियों या वादों के समय पर हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकती है।]

18. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त तालिका के दाहिने कॉलम में उद्धृत विषयवस्तु में वर्ष 2016 के अधिनियम 31 द्वारा प्रतिस्थापित के आलावा धारा 434 में किये गये कुछ संशोधन शामिल हैं। वे संशोधन निम्नानुसार है:–

(i) 07.12.2016 को प्रकाशित कंपनी (कठिनाई निवारण) चौथा आदेश, 2016, जो 15.12.2016 को प्रभावी हुआ;

(ii) 29.06.2017 को प्रकाशित कंपनी (कठिनाई निवारण) चौथा आदेश, 2017, जो उसी तिथि को प्रभावी हुआ; और

(iii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 अर्थात् वर्ष 2018 का 26, जो 06.06.2018 से प्रवृत्त हुआ।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

19. धारा 434, जैसी आज यह है, को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि धारा 434 की उप–धारा (1) का खंड (ख) का उससे कोई लेना देना नहीं है जो धारा 434 का समग्र आशय है। धारा 434 समग्रता में कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड या कंपनी न्यायालय (उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय) के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के अंतरण से संबंधित है। उप–धारा (1) का खंड (ख) कंपनी विधि बोर्ड के किसी निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील के अधिकार से संबंधित है और इसलिए खंड (ख)धारा 434 की योजना में समायोजित नहीं है।

20. जो भी हो,उप–धारा (1) का खंड (ग) वह प्रावधान है जो वास्तव में कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों के अधिकरण को स्थानांतरण को उपबंधित करता है। मोटे तौर पर खंड (ग) माध्यस्थम, समझौता, ठहराव और पुनर्संरचना तथा परिसमापन के बारे में उल्लेख करता है। लेकिन खंड (ग) अपनी प्रयोज्यता में माध्यस्थम, समझौता, ठहराव और पुनर्संरचना तथा परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियों तक सीमित नहीं है। यह खण्ड (ग) "सहित –––सभी कार्यवाहियों "शब्दों के प्रयोग के कारण है।

21. हालांकि, खण्ड (ग) का पहला परन्तुक, जो कि मूल धारा 434 में निहित नहीं था बल्कि आईबीसी अधिनियम,2016 के अन्तर्गत अन्तःस्थापित किया गया था जब धारा 434 को प्रतिस्थापित किया गया था, खण्ड (ग) के मुख्य भाग की विषयवस्तु को सशर्त बनाता है। खण्ड (ग) का पहला परन्तुक परिसमापन की कार्यवाहियों पर उच्च न्यायालय से अधिकरण को स्थानान्तरित किया जाना यह इस उपबन्ध द्वारा रोक देता है कि परिसमापन की केवल वही कार्यवाहियाँ जो ऐसी स्थिति में हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा विहित की गयी हैं , अधिकरण को स्थानान्तरित की जाएंगी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

22. धारा 434 की उप–धारा (2) केन्द्र सरकार को कम्पनी विधि बोर्ड या न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी मामलों के समयबद्ध स्थानान्तरण के लिए अधिनियम के प्रावधानों से संगत नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिये कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 434 की उप–धारा (2) सपठित आईबीसी ,2016 की धारा 239 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार ने नियमसूची जारी की जो "कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का स्थानान्तरण) नियम, 2016 के रूप में जाने जाते हैं।

23. नियमों को पढ़ने से पहले इस बात को नोट करना आवश्यक है कि स्थानान्तरण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित परिसमापन कार्यवाहियों को धारा 434 द्वारा दो श्रेणियों में विभक्त किया गया हैः–

(क) स्वैच्छिक परिसमापन के लिए कार्यवाहियाँ जिसमें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 485(1) के अन्तर्गत इस विनिश्चय का विज्ञापन दिया गया है लेकिन कम्पनी 01.04.2017 से पूर्व भंग नहीं की गयी है और

(ख) अन्य प्रकार की परिसमापन कार्यवाहियाँ।

24. उपरोक्त दो श्रेणियों में से प्रथम श्रेणी के मामले धारा 434 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत चौथे परन्तुक द्वारा आवृत्त है। जिसमे कहा गया हैः

> "परन्तु यह भी कि कम्पनी के स्वैच्छिक परिसमापन के मामलों से सम्बन्धित ऐसी कार्यवाहियाँ जहाँ विनिश्चय की सूचना का विज्ञापन कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 485 की उप–धारा (1) के तहत किया गया है लेकिन कम्पनी 01 अप्रैल 2017 से पहले बंद नहीं की गयी है, कम्पनी अधिनियम 1956 और कम्पनी (न्यायालय) नियम 1959 के प्रावधानों के अनुरूप व्यवहार किया जाएगा।"

उपरोक्त परंतुक में शामिल स्वैच्छिक परिसमापन के ऐसे मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा ही विचार किया जाएगा। केवल (i) चौथे परंतुक के दायरे के बाहर पड़ने वाले

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्वैच्छिक परिसमापन के मामले (ii) अन्य प्रकार की कार्यवाहियां ही केन्द्र सरकार द्वारा धारा 434(2) के अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण को अंतरित किये जाएंगे।

25. उन मामलों से इतर परिसमापन कार्यवाहियों की स्थानांतरणीयता जो परंतुक (4) के अंतर्गत आते हैं, विधि द्वारा उस स्थिति पर निर्भर करता है जिस पर वे कम्पनी न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। लेकिन विधि निर्माताओं ने इसे नियमों के रूप में अधीनस्थ विधायन के द्वारा निर्धारित किये जाने के लिए छोड़ रखा है।

26. विधि की प्रयोज्यता द्वारा कतिपय परिसमापन कार्यवाहियों का स्थानांतरण का उपबंध करने के अलावा धारा 434(1) (ग) पक्षकारों को यह विकल्प भी देती है कि वे ऐसी कार्यवाहियों का स्थानांतरण एनसीएलटी को किये जाने की मांग कर सके। यह खंड (ग) के पांचवे परंतुक के अन्तर्गत है।

27. धारा 434 की उपरोक्त योजना को ध्यान में रखते हुए अब हमें नियमों पर आना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है कंपनी लंबित कार्यवाहियों का स्थानांतरण नियम 2016 धारा 434 (2) सपठित धारा 239 (1) आईबीसी 2016, द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में निर्गत किये गये थे।

28. उपरोक्त नियम परिसमापन हेतु कार्यवाहियों को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं (i) धारा 434 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के चौथे परंतुक के अंतर्गत आने वाली स्वैच्छिक परिसमापन के लिए कार्यवाहियां जो कि 1956 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही चलेगीं। (ii) ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर परिसमापन के लिए कार्यवाहियां और (iii) ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के अतिरिक्त अन्य आधारों पर परिसमापन हेतु कार्यवाहियां।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

29. उपरोक्त नियमों का नियम 4 धारा 434(1) (ग) के चौथे परंतुक के अन्तर्गत स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित है। वर्तमान वाद में हम ऐसे मामलों पर विचार नहीं कर रहे हैं।

30. उपरोक्त नियमों का नियम 5 ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर परिसमापन हेतु कार्यवाहियों के स्थानांतरण का उपबंध करता है। यह निम्नवत है:

> "5. ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर परिसमापन के लिए लंबित कार्यवाहियों का स्थानांतरण; (i) उच्च न्यायालय के समक्ष अपने ऋणों का भुगतान करने में अक्षमता के आधार पर अधिनियम की धारा 434 के खंड (ग) के अन्तर्गत कंपनी के परिसमापन से संबंधित सभी याचिकाएं जिनमें प्रत्यर्थी को नियम कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 26 के अन्तर्गत याचिका तामील नहीं की गयी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 419 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत स्थापित अधिकरण की पीठ को क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए संहिता के भाग II के अनुरूप निस्तारित किये जाने हेतु स्थानांतरित किये जाएंगे।
>
> परंतु यह कि याची संहिता की धारा 7, 8 या 9 के अन्तर्गत याचिका के स्थापन हेतु यथा अपेक्षित नियम 7 के अनुरूप स्थानांतरित अभिलेखीय सूचनाओं के अतिरिक्त जुलाई 2017 तक प्रस्तावित दीवाला व्यवसायी के विवरण सहित सभी सूचनाएं, या जैसा भी मामला हो, प्रदान करेगा। जो कर पाने में अक्षमता के आधार पर याचिका अवैध हो जाएगी।
>
> परंतु आगे यह कि याचिका का/के कोई पक्षकार 1 जुलाई 2017 के पश्चात संहिता की धारा 7, 8 या 9 के अधीन, या जैसा भी मामला हो, संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नया आवेदन करने के लिए अर्ह होंगे।
>
> परंतु यह और कि जहां इस नियम के अन्तर्गत कंपनी के परिसमापन से संबंधित याचिका अधिकरण को स्थानांतरित नहीं की जाती और उच्च न्यायालय में रहती है, और जहां अधिनियम की धारा 433 के खंड (ङ) के अन्तर्गत 15

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दिसंबर, 2016 को उसी कंपनी के विरुद्ध परिसमापन के लिए एक अन्य याचिका है, ऐसी अन्य याचिका अधिकरण को स्थानांतरित नहीं की जाएगी यद्यपि कि याचिका प्रत्यर्थी को तामील नहीं की गयी है।

31. उपरोक्त नियमों का नियम 6 ऋणों का भुगतान करने में अक्षमता के आधार से इतर आधारों पर परिसमापन के लिए कार्यवाहियों के स्थानांतरण से संबंधित है। यह निम्नवत है:

"6.**ऋणों का भुगतान करने में अक्षमता के आधार से इतर आधार पर परिसमापन के लिए लंबित कार्यवाहियों का स्थानांतरण–** उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 433 के खंड क और च के अन्तर्गत दाखिल सभी लंबित याचिकाएं और जिनमें कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 26 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित प्रत्यर्थी को याचिका तामील नहीं की गयी है, वे क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकरण की पीठ को स्थानांतरित किये जाएंगे और ऐसी याचिकाएं कंपनी अधिनियम 2013 (18 वर्ष 2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत याचिकाएं मानी जाएंगी।

32. नियम 5 और 6 के अन्तर्गत आने वाली परिसमापन कार्यवाहियों की स्थानांतरणीयता सीधे तौर पर परिसमापन याचिका को कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 26 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी पर तामील किये जाने से जुड़ी हुई हैं। यदि परिसमापन याचिका 1959 नियम के नियम 26 के तहत प्रत्यर्थी को पहले ही तामील की जा चुकी है तो कार्यवाहियां स्थानांतरित किये जाने के योग्य नहीं होती हैं। लेकिन यदि नियम 26 के तहत प्रत्यर्थी पर परिसमापन याचिका की तामीली पूरी नहीं की जा चुकी है तो ऐसी परिसमापन कार्यवाहियां चाहे वे धारा 433 के खंड (ग) के तहत हों या धारा 433 के खंड (क) और (च) के अन्तर्गत, निर्णायक रूप से एनसीएलटी को स्थानांतरित हो जाएंगी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

33. दूसरे शब्दों में नियम, कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम 2016 के नियम 5 और 6 कम्पनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 26 के अन्तर्गत नोटिस की तामील किये जाने की स्थिति को उस स्थिति के रूप में तय करते हैं जिस पर परिसमापन कार्यवाही स्थानांतरित की जा सकती है। यह इसलिए है कि धारा 434 की उप–धारा (1) का खंड (ग) का पहला परंतुक केंद्र सरकार को वह स्थिति विहित करने में सक्षम बनाता है जिस पर परिसमापन हेतु कार्यवाहियां स्थानांतरित की जा सकती है और धारा 434 की उप–धारा (2) केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

34. कम्पनी (न्यायालय) नियम 1959 का नियम 26 निम्नवत है:

> "**याचिका का तामीला**– प्रत्येक याचिका,याचिका में नामित प्रत्यर्थी, यदि कोई,और ऐसे अन्य व्यक्ति पर जैसा अधिनियम या ये नियम अपेक्षित करें, या जैसा न्यायाधीश या रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करें,को तामील की जाएगी । अन्यथा निर्देशित किये जाने तक याचिका की एक प्रति याचिका की नोटिस के साथ तामील की जाएगी।"

35. नियम 26 की सामान्य अपेक्षा, जैसा कि इसके सबसे अंतिम हिस्से से दिखायी पड़ता है, यह है कि अन्यथा आदेशित किये जाने तक, अधिनियम के अन्तर्गत याचिका की प्रति प्रत्यर्थी को याचिका के नोटिस के साथ तामील की जाएगी। नियम 26 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित, याचिका की प्रति के साथ याचिका की नोटिस नियम 27 के निर्देश के कारण फार्म सं. 6 में होनी चाहिए।

36. फार्म सं. 6 में "संस्थित की गयी" शब्द का प्रयोग होने के कारण यह संशय था कि क्या नियम 26 में संदर्भित तामीला परिसमापन कार्यवाही में संस्थित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किये जाने से पूर्व का है या संस्थित किये जाने के पश्चात का है। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भिन्न–भिन्न मत व्यक्त किये। बाद में इस न्यायालय ने **फोरेक इंडिया लि. बनाम एडेलवीस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कं.लि.**[1] के मामले में स्थिति को यह धारित करते हुए तय किया " कि नियम 26 और 27 स्पष्टतः संस्थित किये जाने के पूर्व की स्थिति को संदर्भित करते हैं।"

37. कंपनी (न्यायालय)नियम 1959 के नियम 26 और 27 को इस प्रकार व्याख्यायित करने के पश्चात, इस न्यायालय ने **फोरेक इंडिया लि.** (उपरोक्त) के मामले में यह कहा कि "*जब इस संहिता को अधिनियमित किया गया था तो केवल उन्हीं परिसमापन याचिकाओं को एनसीएलटी को स्थानांतरित किया जाना था और उन्हें संहिता के अन्तर्गत याचिका माना जाना था जिनमें नियम 26 के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं तामील की गयी थी।*" हालांकि अधिनियम 31, वर्ष 2016 के अन्तर्गत धारा 434 को एक नये प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने और अधिनियम 26, वर्ष 2018 द्वारा पांचवे परंतुक के अन्तःस्थापित किये जाने के पश्चात पक्षकार या पक्षकारों के इशारे पर भी परिसमापन कार्यवाहियों का स्थानांतरण अनुमन्य हो गया। स्थिति में बदलाव को इस न्यायालय द्वारा **फोरेक इंडिया लि.** (उपरोक्त) के मामले में नोट किया गया।

38. लेकिन अधिनियम 26, वर्ष 2018 के द्वारा पांचवे परंतुक के अंतःस्थापित किये जाने के पश्चात इस न्यायालय ने स्थिति में आये बदलाव को नोट करते हुए निर्णय के प्रस्तर 17 में इंगित किया कि यद्यपि **कोई व्यक्ति** संहिता के अन्तर्गत ऐसी याचिका को एनसीएलटी को स्थानांतरित किये जाने के लिए आवेदन दे सकता है। इसका लाभ उठाते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा

---

1 2019 (2) SCR 477

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यह तर्क दिया गया कि "कोई व्यक्ति" (और आवश्यक रूप से याचिका का पक्षकार नहीं) स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है।

39. लेकिन हमें यह नहीं लगता कि **फोरेक इंडिया लि.** (उपरोक्त) के मामले में निर्णय इस उप–धाराणा के लिए कोई मानक या प्राधिकार है कि धारा 434 की उप–धारा (1) के खंड (ग) का पांचवां परंतुक ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है जो परिसमापन हेतु कार्यवाही का पक्षकार नहीं है। हमारे द्वारा पहले ही उद्धृत पांचवे परंतुक में,**"किसी न्यायालय के समक्ष कंपनी के परिसमापन से संबंधित लंबित कार्यवाही का/के पक्षकार"** शब्दों का प्रयोग किया गया है।

40. दूसरे शब्दों में, **पांचवे परंतुक को लागू कराने का अधिकार विनिर्दिष्ट रूप से, कार्यवाही के पक्षकारों को दिया गया है।** अतः शाब्दिक निर्वचन में ऐसे अधिकार को "कार्यवाहियों के पक्षकारों" तक ही सीमति अवधारित किया जाना चाहिए।

41. वह हमें एक दूसरे प्रश्न पर ले जाता है कि परिसमापन कार्यवाहियों के "पक्षकार" कौन हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 "पक्षकार" शब्द को परिभाषित नहीं करता। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 भी "पक्षकार" शब्द को परिभाषित नहीं करता। कंपनी अधिनियम, 2013 "पक्षकार" शब्द परिभाषित नहीं करता। कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का स्थानांतरण)नियम, 2016 भी "पक्षकार" शब्द को परिभाषित नहीं करता। यहां तक कि आईबीसी, 2016 भी "पक्षकार" शब्द को परिभाषित नहीं करता।

42. लेकिन, कंपनी अधिनियम 1956 में निहित रूप से कुछ ऐसे सकेत विद्यमान हैं जो उन लोगों का संकेत करते हैं जो "कार्यवाहियों के पक्षकार" शब्द

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के अर्थ के भीतर आ सकते हैं। वे उपबंध जिनमें ऐसे संकेत निहित है, निम्नवत हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 447 जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 278 के समान है, में कहा गया है कि परिसमापन के लिए आदेश कंपनी के सभी ऋणदाताओं और सभी सहभागियों के पक्ष में, जैसे कि यह एक ऋणदाता और एक सहभागी की संयुक्त याचिका पर किया गया हो, कार्य करेगा। वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 278 और 1956 के अधिनियम की धारा 447 की शब्दावली में थोड़ा अंतर है। इस परिवर्तन को दोनों प्रावधानों को तालिका कॉलम में प्रस्तुत कर समझा जा सकता है:

1956 के अधिनियम की धारा 447	**2013 के अधिनियम की धारा 278**
परिसमापन आदेश का प्रभाव.–	**परिसमापन आदेश का प्रभाव.–**
परिसमापन के लिए आदेश कंपनी के सभी ऋणदाताओं और सभी सहभागियों के पक्ष में, जैसे कि यह **एक ऋणदाता और एक सहभागी की संयुक्त याचिका पर** किया गया हो, कार्य करेगा।	परिसमापन के लिए आदेश कंपनी के सभी ऋणदाताओं और सभी सहभागियों के पक्ष में, जैसे कि यह **ऋणदाताओं और सहभागियों की संयुक्त याचिका पर** किया गया हो, कार्य करेगा।

2013 के अधिनियम की धारा 278 दर्शित करती है कि **एकल ऋणदाता या सहभागी द्वारा कोई याचिका वास्तव में ऋणदाताओं और सहभागियों की संयुक्त याचिका मानी जाती है ताकि परिसमापन का आदेश सभी ऋणदाताओं और सभी सहभागियों के पक्ष में कार्य कर सके।**

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ii) 1956 अधिनियम की धारा 454(6) के अन्तर्गत **स्वंय को लिखित में ऋणदाता बताने वाला कोई** व्यक्ति शासकीय समापक को दिये गये स्थितिक विवरण का निरीक्षण कराने का हकदार होगा। यदि ऐसे व्यक्ति का ऋणदाता होने का दावा असत्य पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति 1956 अधिनियम की धारा 454(7)के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

(iii) समापक की शक्तियां 1956 के अधिनियम की धारा 457 में दी गयी हैं। धारा 457 वास्तव में, समापक की शक्तियों को दो श्रेणियों में विभक्त करता है (।) अधिकरण की संस्तुति से उपलब्ध (ii) वे जो सामान्यतः समापक को प्राप्त होती हैं। लेकिन 2013 अधिनियम की धारा 290 ने ऐसे विभेद को समाप्त कर दिया है, हालांकि 1956 अधिनियम तथा 2013 अधिनियम समापक की शक्ति के प्रयोग को अधिकरण के नियंत्रण के अधीन कर दिया है। इसे 1956 अधिनियम की धारा 457(3) और 2013 अधिनियम की धारा 290(2) के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त 1956 अधिनियम की धारा 457(3) किसी भी ऋणदाता या सहभागी को धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्ति समापक द्वारा प्रयोग के संबंध में न्यायालय में आवेदन करने में सक्षम बनाता है।

(iv) 1956 के अधिनियम की धारा 460 और 2013 के अधिनियम की धारा 292 यह स्पष्ट करती है कि कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रशासन में और ऋणदाताओं में उसके वितरण में समापक को ऋणदाताओं की किसी आम सभा में लिये गये किसी विनिश्चय द्वारा दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि समापक कोई भी कार्य अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा करता है तो समापक के ऐसे कृत्य या निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति 1956 अधिनियम की धारा 460(6) और 2013 अधिनियम की धारा 292(4) के अन्तर्गत कंपनी न्यायालय में आवेदन करने का हकदार होगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(v) 1956 अधिनियम की धारा 466(1) परिसमापन के संबंध में सभी कार्यवाहियों के स्थगन के लिए किसी ऋणदाता को आवेदन करने में सक्षम बनाता है। यह अधिकार परिसमापन आदेश तैयार होने के पश्चात किसी भी समय किसी भी ऋणदाता द्वारा किया जा सकता है।

43. इस प्रकार, किसी कंपनी के परिसमापन की कार्यवाहियां वास्तव में वे कार्यवाहियां हैं जिसका सम्पूर्ण ऋणदाता समूह पक्षकार होता है। कार्यवाही किसी एक या अधिक ऋणदाता द्वारा प्रारंभ की गयी हो लेकिन याचिका को संयुक्त याचिका मानकर चला जाता है। शासकीय समापक सम्पूर्ण ऋणदाता समूह के लिए और उनकी ओर से कार्य करता है इसलिए धारा 434 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के पांचवे परंतुक में प्रयुक्त "पक्षकार" शब्द का अर्थ केवल एक याचिकाकर्ता ऋणदाता या कंपनी या शासकीय समापक नहीं लगाया जा सकता। धारा 434 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के पांचवे परंतुक में प्रयुक्त "पक्षकार" "पक्षकारों" शब्द अपने अर्थ में परिसमापन अधीन किसी कंपनी के किसी ऋणदाता को समाहित करती है।

44. उपरोक्त निष्कर्ष निगमनात्मक तर्क की विधि से भी पाया जा सकता है। यदि कोई ऋणदाता शासकीय समापक के किसी निर्णय से व्यथित है तो वह 1956 अधिनियम के अन्तर्गत उसे कंपनी न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का हकदार होता है। एक बार उसके द्वारा ऐसा किये जाने पर धारा की सामान्य भाषा के आधार पर भी वह कार्यवाही का पक्षकार हो जाता है। किसी पक्षकार से ऐसे टेढ़े–मेढ़े रास्ते से गुजरने और फिर धारा 434(1)(ग) के पांचवे परंतुक पर आने की अपेक्षा करने के स्थान पर ऐसे पक्षकार के सीधे स्थानांतरण के अधिकार को मान्यता देना बेहतर होगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

45. **फोरेक इंडिया लि.** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा यथा धारित आईबीसी की उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा यदि विभिन्न फोरमों में समानान्तर कार्यवाहियों को स्वीकृति दी जाती है। यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को परिसमापन कार्यवाही आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी जाती है और एनसीएलटी को आईबीसी की धारा 7 के अन्तर्गत आवेदन की जांच की अनुमति दी जाती है तो आईबीसी का सम्पूर्ण उद्देश्य छिन्न–भिन्न हो जाएगा।

46. इसलिए हमारा यह सुचिन्तित मत है कि वर्तमान याचिकाकर्ता कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 434 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के पांचवे परंतुक में प्रयुक्त "पक्षकार" शब्द की परिभाषा के भीतर आयेगा और याचिकाकर्ता प्रथम प्रत्यर्थी के विरुद्ध लंबित परिसमापन कार्यवाहियों को एनसीएलटी को स्थानांतरित करने की मांग करने का हकदार है। **इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि कंपनी(लंबित कार्यवाहियों का स्थानांतरण) नियम,2016 के नियम 5 और 6 के अन्तर्गत उस स्थिति से संबंधित निर्बंधन जिस पर स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है, का धारा 434 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के पांचवे परंतुक के तहत आने वाले स्थानांतरण के मामलों में कोई प्रयोज्यता नहीं है।** इसलिए, कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 26 के आधार पर स्थानांतरण की याचिका को निरस्त करने वाला उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है।

47. अतैव, अपील को स्वीकार किया जाता है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और कंपनी न्यायालय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में प्रथम प्रत्यर्थी के विरुद्ध लंबित परिसमापन की कार्यवाहियां एनसीएलटी को स्थानांतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसे आईबीसी की धारा 7 के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अन्तर्गत अपीलार्थी के आवेदन के साथ लिया जाय। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

.....भारत के मुख्य न्यायाधीश

(एस.ए.बोबड़े)

.....न्यायमूर्ति

(ए.एस.बोपन्ना)

.....न्यायमूर्ति

(वी. रामासुब्रमण्यन)

नई दिल्ली

नवम्बर 19, 2020

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।